

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
**अधिसूचना**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने के निमित्त विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है :

- |     |   |   |         |
|-----|---|---|---------|
| (1) | श्री अभय कुमार सिंह<br>सचिव,<br>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,<br>बिहार, पटना ।                | — | अध्यक्ष |
| (2) | मो० नजर हुसैन,<br>अपर सचिव,<br>पंचायती राज विभाग,<br>बिहार, पटना ।                                | — | सदस्य   |
| (3) | श्री रामाशंकर<br>अपर सचिव,<br>निगरानी विभाग,<br>बिहार, पटना ।                                     | — | सदस्य   |
| (4) | श्री रविन्द्र नाथ चौधरी<br>संयुक्त सचिव,<br>सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ।                  | — | सदस्य   |
| (5) | श्री अशोक कुमार,<br>आंतरिक वित्तीय सलाहकार,<br>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,<br>बिहार, पटना । | — | सदस्य   |

(2) उक्त विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 20.04.2026 को अपराह्न 12.30 बजे से सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अभय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक— प्र०3—प्रोन्नति—02/2023 1738 खाद्य/पटना, दिनांक— 09/04/2026  
प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, सूचना भवन, बेली भवन, पटना एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-प्रोन्नति-02/2023 1738 खाद्य/पटना, दिनांक- 09/04/2026  
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव  
कोषांग/विशेष सचिव कोषांग, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/संयुक्त सचिव कोषांग एवं अवर सचिव,  
प्रशाखा-08, अवर सचिव, प्रशाखा-14, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, प्रशाखा पदाधिकारी,  
प्रशाखा-01 एवं आई0 टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव, प्रशाखा-08 को निदेशित किया जाता है कि विभागीय स्क्रीनिंग समिति की  
आहूत उक्त बैठक में विचारण सूची के साथ ससमय भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

  
सरकार के सचिव।